भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1168
दिनांक 13 दिसम्बर, 2023 / 22अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

जन्म और मृत्यु संबंधी डेटाबेस के अनुरक्षण के लिए आधार डेटा

1168 श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जन्म और मृत्यु संबंधी डेटाबेस का अनुरक्षण करने के लिए भारत के महारजिस्ट्रार (आरजीआई) अथवा मुख्य रजिस्ट्रारों को आधार डाटा का उपयोग करने की अनुमति दी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रवर्तन के पश्चात् धारा 3 के अंतर्गत भारत के महारजिस्ट्रार के साथ साझा किए गए डाटाबेस की राज्य-वार सूची क्या है;
(घ) क्या जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1969 में किए गए नए संशोधन में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया गया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): नहीं महोदय।

(ख): प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग): जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 दिनांक 01-10-2023 से लागू हुआ। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 3(5) के अंतर्गत, एक सक्षम प्रावधान किया गया है कि पंजीकृत जन्म और मृत्यु का डेटाबेस, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बाद, विभिन्न प्राधिकारियों को, केवल उनके अनुरोध पर, उपलब्ध कराया जा सकता है।

(घ) और (ङ): जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023, जन्म के पंजीकरण के लिए माता-पिता और सूचना देने वाले की आधार संख्या, यदि उपलब्ध हो, देने का प्रावधान करता है।

*****